भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2194

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष में एआई का एकीकरण

2194. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निदान, अनुसंधान और सेवा प्रदायगी के लिए आयुष प्रणालियों के साथ कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रमुख एआई-संचालित पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के एआई नवाचारों को मान्यता दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आयुष पद्धतियों में एआई की वैश्विक अंतर-संचालनीयता, वैज्ञानिक मान्यता और व्यापक रूप से अपनाएं जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सक्रिय रूप से एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

आयुष ग्रिड परियोजना आयुष क्षेत्र के लिए आईटी बैकबोन के रूप में कार्य करती है, जो उन्नत तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और जागरूकता इत्यादि को एकीकृत करके डिजिटल तकनीकों के उपयोग को को आगे बढ़ाती है। इस पहल के हिस्से के रूप में, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं जैसे कि निदान और सेवा वितरण के लिए आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस), और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आयुष अनुसंधान पोर्टल और नमस्ते पोर्टल।

इसके अलावा, मंत्रालय ने आईआईटी जोधपुर में एकीकृत परिशुद्धता स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए आयुर्स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्टेक में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह अग्रणी परियोजना कार्यात्मक जीनोमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल स्वास्थ्य और एआई व एमएल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके साक्ष्य-आधारित समाधान विकसित करती है। इसके अलावा, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा (एएसयूएस) पद्धतियों में संकाय और छात्रों की एआई तत्परता का आकलन करने, क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और व्यापक रूप से अपनाने के लिए उपयुक्त एआई-आधारित उपकरण, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण विधियों का सह-विकास करने हेतु, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), जो एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020

के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, और बिरला तकनीकी अध्ययन संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग): 11 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने "*मैपिंग द एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन"* शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा में भारत के एआई नवाचार और कार्यान्वयन को मान्यता दी गई है।

(घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों में वैश्विक अंतर-संचालनीयता, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और एआई की व्यापक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित समूह (एफजी-एआई4एच) में पारंपरिक चिकित्सा के विषय संचालक के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह पहल **स्वास्थ्य में वैश्विक सहयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानकीकरण** को बढ़ावा देती है। यह प्रयास अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित "स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक पहल (जीआई-एआई4एच)" के रूप में विकसित हो गया है।

ii. मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित, **अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (आईसीडी-11) के अध्याय 26 के पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2** को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मॉड्यूल को आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में डब्ल्यूएचओ आईसीडी-11 पोर्टल पर जारी किया गया था, जिससे विश्व भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पारंपरिक और रूढ़ि-गत दोनों प्रकार के निदानों के लिए दोहरी कोडिंग का उपयोग करने में सक्षम हो गए। यह व्यापक डेटा संग्रह में सहायक है और स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों में वैश्विक अंतर-संगतता को बढ़ाता है।

*****